न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 11/2024/251 (ए) आरटीए

01. उम्मेद आयु 53 वर्ष पुत्र हनुमानराम
02. भंवरलाल आयु 56 वर्ष पुत्र हनुमानराम
    समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर

— प्रार्थीगण

बनाम

01. मन्जू पत्नी संतोष जाति कुमावत निवासिनी ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर
02. तहसीलदार तहसील धोद जिला सीकर

— अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति—

01. श्री भानू प्रकाश यादव, एड. वकील प्रार्थीगण की ओर से
02. श्री देवीलाल कुमावत, एड. वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक— 28.07.2025

वकील प्रार्थीगण की ओर से आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "आवेदकगण के संयुक्त कब्जे काश्त की व खातेदारी की कृषि आराजी खसरा सं. 163 रकबा 1.4000 हेक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। अनावेदक सं. 1 की खातेदारी व कब्जे की कृषि भूमि खसरा सं. 1549/640 रकबा 0.5500 हेक्टेयर वाके ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है। आवेदकगण का खेत खसरा सं. 163 के दक्षिणी तरफ सींवा—जोड़ खेत खसरा सं. 1549/640 रकबा 0.5500 हेक्टेयर अवस्थित है। खसरा सं. 1549/640 के दक्षिणी तरफ सटकर मुख्य सड़क धोद से सिंगरावट जाने वाली सड़क है। आवेदकगण के खेत खसरा सं. 163 में आने जाने का रास्ता परम्परागत रूप से खसरा सं. 1549/640 के पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे वादीगण के खेत में जाता है। उक्त रास्ता वर्षों पूर्व से है, जो पूर्व में मूल खसरा सं. 640 के पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे उत्तर—दक्षिण में से था। आवेदकगण के खेत खसरा सं. 163 में आने—जाने का उपयुक्त चौड़ाई 9 मीटर का कटानी रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस कारण खेत की जुताई—बुआई करने में बाधा आती है। इसलिए आवेदकगण को अपने खेत खसरा सं. 163 में पहुंचने के लिए 9 मीटर चौड़ा रास्ता की आवश्यकता है, जो अत्यन्त आवश्यकता है। आवेदकगण के खेत में पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। आवेदकगण ने अपने खेत में पहुंचने के लिए 9 मीटर चौड़ा रास्ता देने की मांग की किन्तु सहमति नहीं बनी तथा अनावेदक ने आवेदकगण को रास्ता देने के लिए इन्कार कर दिया। इसलिए आवेदकगण को अपने खेत खसरा सं. 163 में पहुंचने के लिए 9 मीटर चौड़ा रास्ता प्राप्त करने के लिए संलग्न नक्शा अनुसार (ए) से (बी) रास्ता देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। दिनांक 30.12.2023 को आवेदकगण ने अनावेदक सं. 1 से उक्त कदीमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:38:10 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला-सीकर (राज.)

रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवाने हेतु कहा तो अनावेदक सं. 1 ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं कभी भी राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ता का इन्द्राज नहीं करवावूंगा। इस कारण वाद कारण पैदा होकर आवेदन पेश करना लाजिम आया है। आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर पेश है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शे अनुसार रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।''

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी सं. 2 को प्रकरण में मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु लिखा गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री देवीलाल कुमावत, एड. ने वकालतनामा पेश कर मदवार जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि ''मद सं. 1 की जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं. 2 सही होने से स्वीकार है। मद स. 3 की जवाब की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार है। मद सं. 4 जिस प्रकार से तहरीर की गई है वह स्वीकार है। क्योंकि पूर्व में मूल खसरा सं. 640 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे एक उत्तर–दक्षिण रास्ता था, जो वर्तमान में भूमि खसरा सं. 1549/640 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर–दक्षिणी अवस्थित है। मद सं. 5 गलत तहरीर की गई है। क्योंकि भूमि खसरा सं. 1549/640 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उत्तर–दक्षिण रास्ते को कभी भी बंद नहीं किया गया है एवं भूमि खसरा सं. 163 के आवागमन में एवम् जुताई बुवाई करने में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है। मद सं. 6 गलत रूप से तहरीर की गई है। क्योंकि भूमि खसरा नम्बर 163 में आने जाने के लिए रास्ते हेतु कभी कोई मना ही जवाबदाता या उसके परिवारगण की तरफ से नही की गई है। मद सं. 7 गलत होने के कारण अस्वीकार है। मद सं. 8 व 9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अतः निवेदन है कि भूमि खसरा सं. 1549/640 के पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 6 मीटर चौड़ा रास्ता उत्तर–दक्षिण धोद से सिंगरावट जाने वाली सड़क से लेकर भूमि खसरा सं. 163 की दक्षिणी सीमा तक जवाबदाता के खातेदारी में से रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है, तो जवाबदाता को कोई आपत्ति नहीं है।'' तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./24/3057 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण से सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराकर तहसीलदार से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब आवेदन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराकर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा समग्र पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) के तहत प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन, जवाब आवेदन व तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 29.11.2024 के संदर्भ में यह तथ्य सामने आये कि प्रार्थीगण ने ग्राम धोद में अवस्थित आराजी खसरा सं. 163 में आवागमन हेतु खसरा सं. 1549/640 ग्राम धोद में से रास्ते की मांग की है। तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की आराजी खसरा सं. 163 के राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कोई कटानी रास्ता नहीं लगता है। इस कारण उक्त खसरा सं. 163 में आवागमन हेतु खसरा सं. 1549/640 में बिंदु सं. A से B (लाल रंग से दर्शित) रकबा 0.0469 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। वकील अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने पर सहमति जाहिर की गई है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार ही उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार से रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:38:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

मौका रिपोर्ट आदि के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र टिनेंसी एक्ट की धारा 251(ए) के प्रावधानों एवं शर्तों की पूर्ति करता है तथा तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांकित 29.11.2024 द्वारा प्रस्तावित रास्ता उपयुक्त है। अतः सहमति के आधार पर तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./24/3057 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि–

(अ) तहसीलदार की विस्तृत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के साथ संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट (पृष्ठ सं. 02) में दर्शित नजरी नक्शे के अनुसार ग्राम धोद तहसील धोद जिला सीकर में प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 163 में आवागमन के लिए भूमि खसरा सं. 1549/640 के रकबा 0.0469 हेक्टेयर नजरी नक्शा में लाल रंग से बिंदु A से B तक (दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार) प्रस्तावित रास्ता अंकित है, रास्ता हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इस अनुरूप नक्शे में रास्ते का अंकन किया जाये।

(ब) खसरा सं. 1549/640 में से उक्तानुसार रास्ते मे गई भूमि कम करते हुए नवीन रास्ते को पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आवंटित किया जाये तथा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करते हुए रास्ते को सिवायचक खाते (रास्ते/पगडंडियां आदि) मे दर्ज किया जाये।

(स) खसरा सं. 1549/640 में से उक्त प्रस्तावित रास्ते के बदले प्रार्थी से डी.एल.सी. दर से संबंधित खातेदारान (खसरा सं. 1549/640 की मुताबिक जमाबंदी के अनुसार अप्रार्थी सं. 1) को भुगतान करने हेतु निम्न प्रकार राशि का डीडी प्राप्त किया जाकर खातेदारान को विधिवत भुगतान किया जाये–

खसरा सं.	रास्ते में प्रयुक्त भूमि	डीएलसी दर	वसूल योग्य राशि	खातेदारान का विवरण
1549/640	रकबा 0.0469 हेक्टेयर लाल रंग से बिंदु A से B तक (दर्शित नजरी नक्शा के अनुसार)	नियमानुसार	डीएलसी दर की दोगुनी	मुताबिक जमाबंदी के हिस्से अनुसार

तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./24/3057 दिनांक 29.11.2024 के द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत कराने बाबत तदनुसार पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.29 15:38:10 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर